न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबन्द, सहारनपुर।
उपस्थित सुश्री निधि, उच्चतर न्यायिक सेवा (यू0पी0 2679)

सत्र वाद सं0 146/2022
राज्य बनाम रियाज आदि

मु0अ0सं0–497/2022
धारा 147,148,149,452,307,323,506 भा0दं0सं0
थाना देवबंद, जिला सहारनपुर।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 12ख अन्तर्गत धारा 227/228 दं0प्र0सं0

दिनांक–08.01.2024

पुकारा गया। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी के प्राईवेट अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त फरहान जेरे जमानत उपस्थित आया। अभियुक्तगण रियाज, फैय्याज, असलम, प्रवेज उर्फ कल्लू व साकिब का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र स्वीकृत। पूर्व में प्रार्थना पत्र 12ख पर सुना जा चुका है एवं आज पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र 12ख निश्चित है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रियाज अहमद आदि ने प्रार्थना पत्र कागज संख्या 12ख इस आशय से प्रस्तुत किया कि वाद उपरोक्त प्रार्थी अभियुक्तगण पर झूठे वाकात से दबाव नाजायज बनाने की गर्ज से दायर किया गया है, जिसमें कोई सच्चाई किसी प्रकार की नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, डॉक्टरी मायने व पूर्ण केस डायरी की विवेचना में प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आशय मानव वध का नहीं है। कथित चुटैल नसीमा, आसमीन व अरमान की मेडिकल रिपोर्टो में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि सभी चुटैलो की चोटें प्राण घातक प्रकृति की नहीं है और शरीर के मेन वाईटल पार्ट पर भी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी धारदार हथियार या फायर आर्म्स हथियार के प्रयोग का वर्णन नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 14 लोगों के विरूद्ध कायम करायी गयी थी। विवेचना में विवेचना अधिकारी ने मात्र 6 लोगों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया है। समस्त विवेचना संलग्न दस्तावेजो से कोई अपराध प्रथम दृष्टया धारा 307 आई0पी0सी0 का नहीं बनता। वास्तव में प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मात्र मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय अपराध की धाराओं का ही अपराध बनता है। वाद उपरोक्त के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर वाद उपरोक्त की पत्रावली परीक्षण हेतु मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय में भेजी जानी जरूरी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा इन आधार पर प्रार्थना की गई है कि आरोप बनाकर वाद उपरोक्त की पत्रावली मजिस्ट्रेट न्यायालय को प्रेषित करने के आदेश पारित किये जाये।

प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र की बाबत एतराज कागज संख्या 18ख प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसने कथन किया कि एस0टी0 उपरोक्त में प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर दिया गया है, जो हर सूरत में निरस्त होने योग्य है। अभियुक्तगण का यह कहना कि प्रथम सूचना रिपोर्ट व डॉक्टरी मुआयना व केस डायरी की विवेचना में अभियुक्तगण का कोई आश्य मानव वध का नहीं है, बिल्कुल गलत है। अभियुक्तगण द्वारा चुटैल नसीमा को 4 चोटें व अरमान को 9 चोटें तथा आसमीन को भी गम्भीर चोटें पहुंचाई गई है, जो अभियुक्तगण को स्वीकार है और धारा 307 आई0पी0सी0 बखूबी साबित है व धारा 307 आई0पी0सी0 का आरोप विरचित करते समय चोट नहीं देखी जाएगी, बल्कि आश्य देखा जाएगा। प्रार्थी/वादी द्वारा इन आधार पर प्रार्थना की गयी है कि एस0टी0 उपरोक्त में उपरोक्त कारणों के आधार पर प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.07.2023 निरस्त किया जाये।

उभयपक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण द्वारा लाठी, डंडे लेकर प्रार्थी के मकान में घुसना व जान से मारने की नीयत से प्रार्थी के भाई अरमान व उसे बचाने की कोशिश में आगे आई बहन आसमीन को मारा व उसकी मा ने जब बचाओ बचाओ का शोर मचाया तो उसे भी मारा। आरोप पत्र में अंकित है कि दौरान विवेचना एक्सरे रिपोर्ट से अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित मजरूबा नसीमा पत्नी कुर्बान तथा मजरूब अरमान पुत्र कुर्बान के हाथ व पैरों में फ्रैक्चर का होना पाया गया है। जिस कारण अभियोग उपरोक्त में धारा 325 भा0दं0सं0 का होना पाया गया जिस कारण अभियोग उपरोक्त में धारा 325 भा0दं0सं0 की वृद्धि की गयी। धारा 307 भा0दं0सं0 के अनुसार कोई ऐसा कार्य जिसे ऐसे आशय या ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में करने पर यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह हत्या के दोषी होता अर्थात हत्या के प्रयास के आरोप से दण्डनीय है। धारा 307 भा0दं0सं0 के अपराध के लिए चोट आना आवश्यक नहीं है। इस मामले में काफी चोटें वादी पक्ष को आई है। यह साक्ष्य का विषय है कि इस मामले में चोटें किस आशय से पहुंचाई गई। चोटें फायर आर्म्स या धारदार हथियार से आना धारा 307 भा0दं0सं0 का आवश्यक घटक नहीं है। प्रार्थना पत्र 12ख निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 12ख निरस्त किया जाता है। अभियुक्तगण रियाज, फैय्याज, प्रवेज उर्फ कल्लू, असलम, साकिब व फरहान के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 452, 307, 323, 325, 506 भा0दं0सं0 विरचित किए जाए। पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक 23.01.2024 को पेश हो। अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से हाजिर हो।

दिनांकः 08.01.2024

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवबन्द, जिला सहारनपुर।